कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 2156 /बिजनौर/18982/2017, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 12, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : बिजनौर में धामपुर–नूरपुर मार्ग (एम0डी0आर0–03) किमी0 30.336 की बायीं पटरी पर ग्राम–नूरपुर, तहसील–चॉदपुर, के खसरा सं0 205/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.064318 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–2075/14–1, दिनांक 02.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.12.2017 द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। सूचनाओं के अवलोकन से विदित होता है कि कतिपय सूचनाओं का निराकरण नहीं किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– बिन्दु–8 के अनुपालन में पार्ट–5 को ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है।

2– बिन्दु–11 के कम में प्रस्ताव में संलग्न किसी भी अभिलेख में नाम व तिथि अंकित नहीं किया गया है।

अतः किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2156 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव अपने वन संरक्षक को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।